(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 54/2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. ..... (अ)- जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित “3 प्रतिशत से कम जल अवशोषण युक्त पालिश की हुई अथवा बिना पालिश की तैयार ग्लेज्ड/अनग्लेज्ड पोरसेलेन/विट्रीफाइड टाइलें”(एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्षक 6907 या 6914 के अंतर्गत आते हैं, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या29/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 14 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 588 (अ), दिनांक 14 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने प्रारंभिकीकरण अधिसूचना संख्या 7/39/2020-डीजीटीआर, दिनांक 22 जनवरी, 2021, जिसे दिनांक 22 जनवरी, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और उन्होंने उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है।

और जहां कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने उक्त विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित उक्त विषयगत वस्तु पर लगे प्रतिपाटन शुल्क को और आगे भी बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

अत: अब उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के अनुपालन में, केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) कीअधिसूचना संख्या 29/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 14 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 588 (अ), दिनांक 14 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था ,में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 3में, अंक, अक्षर और शब्द “31 दिसम्बर, 2021” के स्थान पर, अंक, अक्षर और शब्द “28 फरवरी, 2022” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[फाइल संख्या सीबीआईसी-190354/44/2021-टीओ (टीआरयू-।)-सीबीईसी]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव**,** भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 29/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 14 जून, 2017 को सा.का.नि. 588 (अ), दिनांक 14 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 34/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 28 जून, 2021, जिसे सा.का.नि. 442 (अ), दिनांक 28 जून, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।,खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।